भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6359
02 अप्रैल, 2026 को उत्तर देने के लिए

मेगा फूड पार्क

†6359. डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कितने मेगा फूड पार्क चल रहे हैं;
(ख) मेगा फूड पार्कों और अन्य योजनाओं सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हुए निवेश का ब्यौरा क्या है;
(ग) मेगा फूड पार्कों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के माध्यम से कितने रोजगार सृजित हुए हैं;
(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत क्या-क्या प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं; और
(ङ) फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत एक घटक योजना, मेगा फूड पार्क (एमएफपी) योजना को लागू कर रहा है। एमएफपी योजना के अंतर्गत 41 एमएफपी स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 25 एमएफपी कार्यरत हैं।

(ख) से (ङ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने तथा फसलोत्तर नुकसान को कम करने के लिए, मंत्रालय अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं, अर्थात् प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) तथा केंद्र प्रायोजित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है।

मंत्रालय वर्ष 2017-18 से पूरे देश में पीएमकेएसवाई लागू कर रहा है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत , अर्थात् (i) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना (शीत श्रृंखला योजना), (ii) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना सृजन (एपीसी योजना), (iii) ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी योजना) - दीर्घकालिक अंतःक्षेप, (iv) खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन एवं विस्तार (सीईएफपीपीसी), (v) मेगा फूड पार्क (एमएफपी योजना – दिनांक 01.04.2021 से बंद) और (vi) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का सृजन (सीबीएफएल योजना – दिनांक 01.04.2021 से बंद), खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे पूरे देश में शीत श्रृंखला अवसंरचना सहित प्रसंस्करण एवं परिरक्षण अवसंरचना सुविधाएं स्थापित की जा सकें।खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, सामान्य क्षेत्रों की परियोजनाओं के मामले में यह सहायता पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों की परियोजनाओं के साथ-साथ एससी/एसटी , एफपीओ और एसएचजी की परियोजनाओं के मामले में

50% की दर से दी जाती है खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन एवं विस्तार (सीईएफपीपीसी) योजना के अंतर्गत अधिकतम 5.00 करोड़ रूपये , शीत श्रृंखला योजना/एपीसी योजना के अंतर्गत साथ ही ओजी योजना के अंतर्गत स्वतंत्र परियोजनाओं के मामले में भी 10.00 करोड़ रूपये और ओजी योजना के अंतर्गत एकीकृत परियोजनाओं के मामले में 15.00 करोड़ रूपये तक सीमित है। मंत्रालय स्वयं ऐसी परियोजनाओं की स्थापना नहीं करता है, बल्कि योजना दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर जारी की गई अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से इच्छुक संस्थाओं/संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित करता है।
दिनांक 31.01.2026 तक, पीएमकेएसवाई की उप-घटक योजनाओं के अंतर्गत कुल 1,599 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनमें मेगा फूड पार्क भी शामिल हैं। इन परियोजनाओं ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 21,667.38 करोड़ रुपये का निजी निवेश आकर्षित किया है। इसके अलावा, मेगा फूड पार्क परियोजनाओं से 1,01,860 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत , मंत्रालय सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए पात्र परियोजना लागत का 35% (10 लाख रुपये तक) क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी प्रदान करता है, साथ ही पात्रता के अनुसार प्रति एसएचजी सदस्य को 40,000 रुपये तक की प्रारंभिक पूंजी सहायता भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, अवसंरचना को मजबूत करने के लिए, इनक्यूबेशन सेंटर और प्रसंस्करण इकाइयों, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज और अन्य मूल्य श्रृंखला अवसंरचना सहित सामान्य अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना सीमित बाजार पहुंच वाले समूहों को अपने उत्पादों की दृश्यता और बिक्री बढ़ाने में मदद करने के लिए ब्रांडिंग और विपणन सहायता के माध्यम से अनुदान भी प्रदान करती है। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत , सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता भी प्रदान की जाती है। यह योजना वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ संचालित है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) को वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ स्वीकृत किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वैश्विक खाद्य विनिर्माण क्षेत्र के अग्रणी निर्माताओं को बढ़ावा देना, खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को प्रोत्साहित करना, कृषि से इतर रोजगार के अवसर बढ़ाना, कृषि उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। पीएलआईएस के अंतर्गत योजना के घटक और प्रोत्साहन संरचना **अनुबंध** में दी गई है।

इस योजना के अंतर्गत, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार खाद्य उत्पादों की पात्र क्रमिक बिक्री हासिल करने पर चयनित आवेदकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि तभी प्राप्त की जा सकती है जब योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले खाद्य उत्पादों की प्राथमिक प्रसंस्करण सहित संपूर्ण विनिर्माण प्रक्रिया भारत में संपन्न होती हो। स्वीकृत लाभार्थियों/आवेदकों द्वारा विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

अनुबंध

दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को उत्तर हेतु , "मेगा फूड पार्क" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 6359 के भाग (ख) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

योजना घटक

- श्रेणी-I = यह चार प्रमुख खाद्य उत्पाद खंडों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने से संबंधित है, जिनमें रेडी टू कुक/रेडी टू ईट (आरटीसी/आरटीई) खाद्य पदार्थ शामिल हैं, जिनमें मिलेट आधारित उत्पाद, प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, समुद्री उत्पाद और मोज़रेला पनीर शामिल हैं।
- श्रेणी-II = यह चार क्षेत्रों में मुक्त रेंज-अंडे, पौल्ट्री मीट और अंडे से बने उत्पादों सहित एसएमई के नवीन/जैविक उत्पादों के उत्पादन से संबंधित है।
- श्रेणी -III = यह कार्यक्रम विदेशों में ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए समर्थन प्रदान करने से संबंधित है, जिसका उद्देश्य स्टोर में ब्रांडिंग, शेल्फ स्पेस किराये पर लेने और मार्केटिंग के लिए मजबूत भारतीय ब्रांडों के उदय को प्रोत्साहित करना है। ब्रांडिंग और मार्केटिंग घटकों के लिए स्वीकृत कार्यान्वयन अवधि वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक है।
- वर्ष 2023 को "अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष" घोषित किए जाने के मद्देनजर, मंत्रालय ने खाद्य उत्पादों में मिलेट के उपयोग को बढ़ावा देने और मूल्यवर्धन एवं बिक्री को बढ़ावा देने के लिए आरटीसी/आरटीई उत्पादों में मिलेट के उपयोग को प्रोत्साहित करने और पीएलआई योजना (पीएलआईएसएमबीपी) के अंतर्गत उन्हें प्रोत्साहन देने की पहल की।

पीएलआईएस के अंतर्गत प्रोत्साहन संरचना

श्रेणी/ खंड	खंड	प्रोत्साहन वितरण मानदंड (%)		ऊपरी सीमा (% और राशि करोड़ में)	प्रोत्साहन की दर (%)					
		न्यूनतम सीएजीआर	अधिकतम सीएजीआर		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
श्रेणी 1										
आरटीई/ आरटीसी	बिस्किट	10%	13%	8% 334.48 रुपये	5%	5%	5%	5%	4.5%	4%
	गैर-बिस्किट				7.5%	7.5%	7.5%	7.5%	6.75%	6%
	मसाले	10%	12%	8%	5%	5%	5%	5%	4.5%	4%

एफ एंड वी	गैर-मसाले		15%	286.56 रुपये	10%	10%	10%	10%	9%	8%
समुद्री	समुद्री उत्पाद	5%	10%	8% 79.44 रुपये	6%	6%	6%	6%	5%	4%
	मूल्य वर्धित उत्पाद				10%	10%	10%	10%	10%	10%
मोत्ज़रेला पनीर		15%	16%	25% 70.75 रुपये	10%	10%	10%	8%	6%	4%
मिलेट उत्पाद	बड़ी इकाई	10%	-	100 रुपये	-	10%	10%	10%	9%	8%
	एमएसएमई	10%	-	10.54 रुपये						
श्रेणी 2	**जैविक उत्पाद**	10%	-		10%	10%	10%	10%	9%	8%
	नवीन उत्पाद	10%	-		10%	10%	10%	10%	9%	8%
श्रेणी 3	**बी एंड एम**	इसमें केवल उन्हीं भारतीय ब्रांडों को शामिल किया गया है जो पूरी तरह से भारत में निर्मित खाद्य उत्पादों की बिक्री करते हैं।		कुल व्यय का 50%	-	विदेशों में खाद्य एवं खुदरा बिक्री पर किए गए व्यय का 50% वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा, जो खाद्य उत्पादों की बिक्री के अधिकतम 3% या प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, के अधीन होगा।				

*सभी खाद्य उत्पादों की न्यूनतम बिक्री। **प्रत्येक उत्पाद (जैविक/नवीन) की ₹1 करोड़ की बिक्री।
